सं0 21034/47/2007- रा0भा0 (प्रशि0)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली; दिनांक 10 अक्टूबर, 2007

कार्यालय ज्ञापन 12 OC

विषयः- हिंदीतर राज्यों से मैट्रिक स्तर तक का हिंदी का ज्ञान प्राप्त केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी के सेवाकालीन प्रशिक्षण की अनिवार्यता के संबंध में ।

केंद्र सरकार के जिन कर्मचारियों ने हिंदीतर राज्यों से मैट्रिक स्तर तक हिंदी द्वितीय अथवा तृतीय अथवा किसी अन्य भाषा के साथ संयुक्त विषय के रूप में पढ़ी है, उनके लिए प्राज्ञ का प्रशिक्षण अनिवार्य है अथवा नहीं, इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय कार्यालयों आदि से समय-समय पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं । इस विषय में विचार-विमर्श के उपरांत यह पाया गया कि दिनांक 19 अक्तूबर, 2001 को जारी कार्यालय ज्ञापन सं014034/36/2001-रा.भा.(प्रशि0) तथा उससे संबंधित स्पष्टीकरणों से असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गयी हैं जिसे दूर किया जाना आवश्यक है । अतः स्थिति को स्पष्ट करने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:-

(क) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा राजभाषा नियम (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग), 1976 (यथासंशोधित, 1987) के नियम 10 में दी गयी है जो कि स्वतः स्पष्ट और मान्य है ।

(ख) तथापि पूर्व में जारी आदेशों/स्पष्टीकरणों से उत्पन्न असमंजसता को समाप्त करने के लिए पुनः स्पष्ट किया जाता है कि केंद्रीय सरकार के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिंदीतर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के विश्वविद्यालय/शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक स्तर तक हिंदी द्वितीय अथवा तृतीय अथवा किसी अन्य भाषा के साथ संयुक्त विषय के रूप में लेकर परीक्षा उत्तीर्ण की है परन्तु हिंदी में उत्तीण होने हेतु संबंधित राज्य सरकार के शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं किए हैं उनके बारे में यह समझा जाएगा कि उन्हें हिंदी के प्रवीण स्तर का ज्ञान प्राप्त है, परंतु प्राज्ञ स्तर का ज्ञान प्राप्त नहीं है । ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी के प्राज्ञ स्तर का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा तथा उन्हें प्राज्ञ पाठ्यक्रम में तभी दाखिला दिया जा सकता है, जबकि पात्रता के अनुसार उनके लिए प्राज्ञ का पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम हो । प्राज्ञ परीक्षा उत्तीण करने पर ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को इस विभाग के दिनांक 02.09.1976 के का.ज्ञा.सं.12014/2/76- रा.भा.(डी) तथा दिनांक 14.02.1979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12014/1/78 -रा.भा. (डी) के अनुसार वैयक्तिक वेतन देय होगा और वे दिनांक 14.05.1969 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 15/1/69-एच-1 एवं दिनांक 29.10.1984 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12011/5/83-रा.भा. (घ) में निहित शर्तें पूरी करने पर क्रमशः नकद एवं एकमुश्त पुरस्कार के भी पात्र होंगे ।

.......2/-

(ग) केंद्रीय सरकार के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिंदीतर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षाबोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिक स्तर तक अथवा उसके समतुल्य अथवा उससे उच्चतर कोई अन्य परीक्षा हिंदी द्वितीय अथवा तृतीय अथवा किसी अन्य भाषा के साथ संयुक्त विषय के रूप में हिंदी में निर्धारित उत्तीर्णांक लेकर उत्तीर्ण की है, उनके संबंध में यह समझा जाएगा कि उन्हें हिंदी के प्राज्ञ स्तर का अथवा राजभाषा के नियमानुसार हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है । ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी के प्राज्ञ स्तर का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य नहीं होगा ।

2. इसके अतिरिक्त यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी राजभाषा नियम 1976 के उपनियम 10 (1) (ख) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा करता है कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उसके लिए हिंदी के प्रवीण अथवा प्राज्ञ स्तर का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य नहीं होगा।

3. यह आदेश केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/अधीनस्थ एवं संबंधित कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों/निकायों इत्यादि के उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू होंगे जो वर्तमान में सरकारी सेवा में हैं, भले ही वे दिनांक 30.05.1988 से पूर्व भर्ती हुए हों ।

4. कृपया इसे सभी के ध्यान में लाया जाए ।

5. **अंग्रेजी रूपांतर अलग से जारी किया जा रहा है ।**

(बी.सी.मण्डल)
निदेशक

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (अनुरोध है कि कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को अपने नियंत्रणाधीन सभी सरकारी उपक्रमों/बैंकों/स्वायत्त संगठनों/निगमों आदि के ध्यान में लाएं) ।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
5. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
6. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली ।
7. गृह मंत्रालय और राजभाषा विभाग के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।
8. सभी संघ शासित क्षेत्र ।
9. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग/डैस्क ।
10. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वाँ तल, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली ।
11. सचिव, (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।
12. संयुक्त सचिव (राजभाषा) के निजी सचिव ।
13. अतिरिक्त प्रतियां (100)